राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 84/2013/हनुमानगढ
अपील संख्या 85/2013/हनुमानगढ
अपील संख्या 86/2013/हनुमानगढ

मैसर्स त्रिमुर्ति ट्रेडर्स.
हनुमानगढ जंक्शन — अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग,श्रीगंगानगर
2सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय,वृत–हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री ओ.पी.सैनी, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 24.06.2016

निर्णय

ये तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारीं ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 25.10.2012 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आलोच्य अवधि 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 के कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु नोटिस जारी करने के बावजूद अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय,वृत–हनुमानगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा एकपक्षीय कर निर्धारण अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत पृथक–पृथक आदेश दिनांक 25.03.2009 को पारित करते हुए रू. 2,40,125/–, रू. 31,57,070/– एवं रू. 17,21,500/–की मांग सृजित की है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त कर निर्धारण आदेशों से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उक्त कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, अतः प्रकरण रि–ओपन कर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृत प्रदान करने का निवेदन करते हुए अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने दोनों

पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपीलार्थी व्यवसायी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2012 से क्षुब्ध होकर व्यवहारी की ओर से ये तीनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए रू. 2,40,125/–, रू. 31,57,070/– एवं रू. 17,21,500/–की मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है,जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तामील कराये ही कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं, जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलें स्वीकार कर प्रकरण रि–ओपन करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को वर्ष 2006–07, 2007–2008 एवं 2008–09 के कर निर्धारण पारित करने हेतु नोटिस तामील कुनिन्दा द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के निवास पर नोटिस चस्पा किया गया है, किन्तु नोटिस तामीली के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ और ना ही कोई उपस्थित हुआ,ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की है, जो उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की तामील हेतु तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस तामील कराया गया था, उसके द्वारा नोटिस की कार्यालय प्रति के पीछे निम्न प्रकार अंकित किया है:–"व्यवसाई के मकान के पते हाऊसिंग रोड पहुँचा मकान बिक चुका है दोनों जगह पर व्यवसाई न मिलने पर अन्तिम ज्ञात व्यवसाय स्थल पर चस्पा कर दो गवाहों के सामने तामील करवाया गया रिपोर्ट पेश हो। हस्ताक्षर श्रीराम दिनांक 13.01.2011"

तामील कुनिन्दा की उक्त रिपोर्ट के अनुसार जिस पते पर नोटिस चस्पा किया गया है वह मकान बिक चुका है यानी वह मकान नोटिस में अंकित व्यक्ति का नहीं था, क्योंकि वह मकान बेच कर अन्यत्र चल गया है। अतः उक्त प्रकार से नोटिस चस्पानगी को नोटिस तामीली की संज्ञा में नही माना जा सकता है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारीं की अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान कर, उसे सुनने के पश्चात दो माह में पुनः आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश पारित करें।

अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के पश्चात एक माह के भीतर स्वतः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष मय रिकार्ड उपस्थित होकर आलोच्य अवधियों का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें। यदि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष मय रिकार्ड उपस्थित नहीं होता है, तो पूर्व में पारित कर निर्धारण आदेश यथावत रहेंगे।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2012, एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.03.2009, 25.032010 एवं 18.01.2011 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(ओ.पी.सैनी)
अध्यक्ष